पत्रांक : 33/वि॰ (महँगाई भत्ता/महँगाई राहत)–54/2017.....2522/वि॰

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची/दिनांक :16/10/2025

संकल्प

विषय : **राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01 जुलाई, 2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।**

केन्द्र सरकार के द्वारा अपने कर्मियों को दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से सप्तम वेतन पुनरीक्षण का लाभ के अनुरूप राज्य कर्मियों को योजना–सह–वित्त विभागीय संकल्प संख्या 217/वि॰ दिनांक 18.01.2017 द्वारा सप्तम वेतन पुनरीक्षण अनुमान्य किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका–9 में केन्द्र सरकार के अनुरूप महँगाई भत्ता अनुमान्य किया गया है।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय) के पत्र संख्या 1/4(i)/2025-E.II(B) दिनांक 06.10.2025 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान/वेतन संरचना (सातवाँ वेतनमान) में दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ते की दर को 55% (पचपन प्रतिशत) की विद्यमान दर से बढ़ाकर 58% (अन्ठावन प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत किया गया है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्र के अनुरूप राज्य कर्मियों को वर्त्तमान पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में संशोधन हेतु सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है :–

"राज्य के सेवीवर्ग, जिनके वेतनमान/वेतन संरचना का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 217/वि॰ दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से वेतन का 58% (अन्ठावन प्रतिशत) महँगाई भत्ता स्वीकृत किया जाय"।

4. झारखंड सेवा संहिता के परिभाषित नियम–34(ए) के अनुसार मूल वेतन पर महँगाई भत्ता देय है, परन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन इत्यादि पर देय नहीं होगा।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 2473/वि० दिनांक 14.10.2025 के क्रम में दिनांक 14.10.2025 की बैठक के मद सं० 13 में दी गई है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक॰), झारखंड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

16/10/25

(प्रशांत कुमार)
सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

ज्ञापांक : 33/वि॰ (महँगाई भत्ता/महँगाई राहत)–54/2017 2522/वि **राँची, दिनांक** 16/10/2025

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय/महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/महालेखाकार (लेखा एवं हक॰), झारखंड, राँची/मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप–कोषागार पदाधिकारी/जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/वित्त (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग, झारखंड, राँची/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि महँगाई भत्ते की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची की सहमति प्राप्त करने के बाद ही अपने स्तर से आदेश निर्गत किया जाय/सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को e-गजट के रूप में राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशन करने तथा पी॰एम॰यू॰ कोषांग के श्री कृष्ण मुरारी तिवारी को विभागीय Website पर upload करने हेतु प्रेषित।

16/10/25

(प्रशांत कुमार)
सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।